Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 19, 2011
(SRAVANA 28, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 19th August, 2011

No. 17—HLA of 2011/53.—The Haryana School Teachers Selection Board Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 17—HLA of 2011

THE HARYANA SCHOOL TEACHERS SELECTION BOARD BILL, 2011

A

BILL

to establish a Board for the selection of teachers for appointment to the Government schools, and selection of teacher educators, educational supervisors for School Education Department in the State of Haryana and for matter connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana School Teachers Selection Board Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions.

2. *In this Act, unless the context otherwise requires,—*

(a) "Board" means Haryana School Teachers Selection Board established under section 3;

(b) "Chairman" means the Chairman of the Board and includes any other person performing, in the absence of the Chairman, for the time being, the functions of the Chairman;

(c) "Director" means the Director, School Education Department and includes Additional Director, Joint Director or Deputy Director as authorized by him in this behalf;

(d) "Education Board" means the Board of School Education, Haryana;

(e) "Educational Supervisor" means teachers appointed to such posts with various designations to man school, block, district and head quarter office dealing with school education;

(f) "Government" means the Government of the State of Haryana;

(g) "Head of Institution" means the Head Teacher, Head Master or the Principal of a School, as the case may be;

(h) "member" means a member of the Board and includes its Chairman;

(i) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(j) "recognized university / institution" means—

(i) *any university/institution established by law in India; or*

(ii) any other university/ institution which is declared by the Government to be a recognised university/ institution for the purposes of these rules;

(k) "School" means an institution established by the Government imparting education from primary to senior secondary level;

(l) "Teacher" means such persons appointed to regular teaching posts with various designations in school;

(m) "Teacher Educator" means teachers with various designations appointed as such in District Institute of Education and Training/ State Council of Education and Research Training or any other Government Teacher Training Institution as established by the Government.

(n) "Teacher Training Institute" means a Government Training Institute imparting pre-service/in-service training to school teacher.

Establishment of Board.

3. With effect from such date, as the Government may, by notification appoint in this behalf, there shall be established a Board to be called the Haryana School Teachers Selection Board.

Composition of Board.

4. The Board shall consist of a Chairman and four other members.

Mode of appointment of Chairman and members.

5. (1) The appointment of Chairman and members shall be made by the Government on the recommendations of the collegium which shall consist of, the Chief Secretary to Government, Haryana, Principal Secretary/Commissioner School Education, Haryana and a Vice Chancellor of any of the State Universities to be co-opted by the Chief Secretary. The collegium shall evolve its own procedure in recommending the name/ names of Chairman/ Members to the Chief Minister, who shall make the final selection for the purpose of making the appointment by *the Government*.

(2) No person shall be qualified for appointment as Chairman unless he—

(a) possesses a post-graduate degree from any recognized university/institution or have any other equivalent academic qualifications; or

(b) has worked on Class-I post under any State or Central Government for five years; or

(c) *is or has been a Principal, Associate Professor or Professor of* any College or University; or

(d) is an eminent educationist; or

(e) has been a Member of the Board for one term.

(3) No person shall be qualified for appointment as a member unless he—

(a) possesses a post-graduate degree from any recognized university/ institution or have any other equivalent academic qualifications; or

(b) has worked on Class-II post under any State or Central Government for five years; or

(c) is an eminent academician:

Provided that all the incumbents shall not be from one category.

(4) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the Government.

Terms and service conditions of members.

6. (1) Every member shall, unless he becomes disqualified for continuing as such, hold office for a term of three years or until he attains the age of 72 years,

whichever is earlier :

Provided that a member may, by writing under his hand, addressed to the Government, may resign his office, but shall continue in office until his resignation is accepted by the Government.

(2) A person who holds office as a member shall, on the expiration of his term of office, be eligible for reappointment to that office for another term.

(3) The office of the members shall be whole-time and the terms and conditions of their service shall be such, as may be prescribed.

(4) The salary, allowances and perks of Chairman/members shall be the same as prescribed for Haryana Staff Selection Commission.

Power of Government to remove members.

7. (1) The member shall be removed from his office by the order of Government on the grounds of misbehaviour, after an inquiry by a retired High Court Judge when it is held that he ought to be removed on such ground.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Government may, by or er remove from office any member if he,—

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) in the opinion of the Government is unfit to continue his office by reason of infirmity of mind or body; or of proved misconduct.

Proceedings of Board not to be invalidated.

8. No act or proceeding of the Board shall be deemed to be invalid merely on the ground of—

(i) any vacancy or defect in the constitution of the Board; or

(ii) any defect or irregularity in the appointment of a member thereof; or

(iii) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

Staff.

9. (1) The Secretary shall belong to the cadre of Haryana Civil Services and shall be appointed by the Government on deputation for a term not exceeding five years, and other conditions of his service shall be such, as the Government may, from time to time, determine.

(2) Subject to such directions, as may be issued by the Government in this behalf, the Board may appoint such other employees, as it may think necessary, for the efficient performance of its functions under this Act and on such terms and conditions of service as the Board thinks fit.

10. All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Secretary or any other officer authorized by the Board in this behalf. Authentication of orders.

11. (1) The Board shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:— Powers and duties.

(i) prepare guidelines on matter relating to the method of direct recruitment of teachers, teacher educators and education supervisors for School Education Department;

(ii) conduct examinations, hold interviews and make selection of candidates for being appointed as teachers, teacher educators and education supervisors:

Provided that the Haryana Public Service Commission shall continue the process of recruitment for the posts which have been notified and already advertised;

(iii) select and invite experts and to appoint examiners or examination agencies for the purposes specified in clause (ii);

(iv) make recommendations to the Director, Elementary Education, Secondary Education or Government regarding the appointment of selected candidates Group A, B and C (excluding ministerial staff in Government schools/ Teacher Training Institutions/ offices of School Education Department);

(v) fix the emoluments and travelling and other allowances of the experts and examiners;

(vi) administer the funds placed at the disposal of the Board;

(vii) perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed.

(2) It shall not be necessary to consult the Board for suitability of candidates for appointment to—

(a) a temporary post, the necessity for which is declared at the time of its creation to be unlikely to continue for more than six months;

(b) a permanent post of a person temporarily for a period not exceeding six months, owing to emergent circumstances having arisen, if it is necessary in public interest to fill the vacancy immediately and there is likely to be undue delay in making appointment in consultation with the Board; and

(c) a post to be filled in by promotion or transfer.

Headquarter.

12. The headquarter of the Board shall be at Panchkula or at such place, as the Government may, notify from time to time.

Power to make rules.

13. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before the House of the State Legislature while it is in session.

Payment.

14. The Government may, after due appropriation made by law in this behalf, pay to the Board in each financial year, such sum, as may be considered necessary, for the performance of the functions of the Board.

Fund.

15. (1) The Board shall have its own fund, and all sums paid to it by the Government and all receipts of the Board shall be carried to the fund and all payments by the Board shall be made therefrom.

(2) All moneys belonging to the fund shall be deposited in such banks or invested in such manner, as may subject to the approval of the Government, be decided by the Board.

(3) The Board may spend such sums as it thinks fit for performing its functions and such sums shall be treated as expenditure payable out of the fund.

Annual Report.

16. The Board shall prepare once every year, in such form and at such time, as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Government and the Government shall cause the same to be laid before the State Legislature.

Accounts and Audit.

17. (1) The Board shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its account, in such form and in such manner, as the Government may, by general order direct.

(2) The Board shall as soon as may be after closing its annual accounts, prepare statement of accounts in such form and forward the same to the Accountant General, by such date, as the Government may, in consultation with the Accountant General determine, for audit under section 14 of the Comptroller and Auditor Generals' (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971).

(3) The Annual accounts of the Board together with the audit report thereon shall be forwarded to the Government and the Government shall cause the same to be laid before the State Legislature.

Delegation.

18. The Board may, by regulations made under section 20, delegate to Chairman or any of its members or officers, its power of general superintendence and direction over the business transacted by or in the Board including the powers with regard to the expenditure incurred in connection with the maintenance of the office and internal administration of the Board.

19. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act. Protection of action taken in good faith.

20. The Board may, with the previous approval of the Government, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder regulating fees for holding selections, conducting examination and holding interviews and laying down the procedure to be followed by the Board for discharging its duties and performing its functions. Power to make regulations.

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions or give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. Power to remove difficulties.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1), existed or was required to be removed.

22. (1) The Haryana School Teachers Selection Board Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No. 5 of 2011), is hereby repealed. Repeal and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Government of Haryana has been focusing on all round development of the State with special focus on human resources. In the context of fast changing scenario in school education, particularly, the enactment of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act) by the Central Government, the department cannot afford to keep posts of teachers and supervisors vacant any more. There is an added pressure to expand educational facilities in the context of implementation of RTE, Act w.e.f. 01-04-2010 which mandates free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years.

Section 3(1) of the Act provides that every child of the age of 6-14 years shall have a right to free and compulsory education in neighbourhood school till completion of elementary education. Under Section 6 of Act, the duty of the State Government would be to provide schooling facilities to the children within a period of 3 years from the commencement of the Act. Not only this, the State Government is required to maintain prescribed teacher pupil ratio (1:30) at primary level and 1:35 at upper primary level. Further, where the admission of children is above 100, a fulltime Head Teacher and part time instructors for Art Education, Health and Physical Education and Work Education would also be required and so on. Under Section 26 of the Act, the Government has to ensure that the vacancies in the School shall not exceed 10% of the total.

Presently, the recruitment of non-gazetted posts is made through HSSC whereas recruitment of gazetted posts is done through HPSC. These two agencies make recommendations in regard to direct quota posts of all the Government departments, boards and corporations, as the case may be. As a result, the recruitment process of education department gets delayed and takes longer time. For effective and time bound implementation of RTE Act, 2009, implementation of Sarav Shiksha Abhiyan (SSA) and Rashtriya Madhyamic Shiksha Abhiyan (RMSA) for universalization of access to and improvement of quality at the secondary stage, filling up of the vacant posts is of paramount importance. The large gaps in the creation and filling up of posts have adversely affected the functioning of schools upgraded during last 5-6 years. Presently out of 12999 posts of School Lecturers cadre around 4000 are laying vacant. With expansion of Secondary Education and effort of State Government to provide Science and Commerce education in rural areas many more posts would be created which have to be filled up in a short span of time.

In the give background, there is an urgent need not only to cut short the delays in filling up the vacancies but also to devise a system under which advance panels are available with the department at the commencement of academic session of each year so that the posts falling vacant are filled up immediately. There is no escape from the responsibility of keeping the posts filled up in view of the statutory requirements put on the State by the RTE Act. To address this problem, the solution lies in setting up a separate Teachers Selection Board exclusively for recruitment of school teacher (Non Gazetted and Gazetted posts). This would bring about better coordination, cut delays in selection for filling up large number of posts falling vacant and newly created posts from time to time due to increased workload/opening of new institutions.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 19thAugust, 2011

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

There will be financial implication of approximately Rs. 7 Crore per year on the State Exchequer on account of constitution of Haryana School Teachers Selection Board.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 13 of the proposed bill empowers State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 17-एच० एल० ए०

हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड विधेयक, 2011

हरियाणा राज्य में विद्यालय शिक्षा विभाग के लिए सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अध्यापकों के चयन, तथा अध्यापक शिक्षकों, शैक्षणिक पर्यवेक्षकों के चयन के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए बोर्ड की स्थापना हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड;

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, बोर्ड का अध्यक्ष तथा इसमें शामिल है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का पालन करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग तथा इसमें शामिल है, इस निमित्त उसके द्वारा यथा प्राधिकृत अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक या उप निदेशक;

(घ) "शिक्षा बोर्ड" से अभिप्राय है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा;

(ङ) "शैक्षणिक पर्यवेक्षक" से अभिप्राय है, विद्यालय शिक्षा में संव्यवहार करने वाले विद्यालय, खण्ड, जिला तथा मुख्यालय कार्यालय में विभिन्न पदनामों से ऐसे पदों पर नियुक्त अध्यापक;

(च) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(छ) "संस्था का मुखिया" से अभिप्राय है, किसी विद्यालय का मुख्य अध्यापक, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, जैसी भी स्थिति हो;

(ज) "सदस्य" से अभिप्राय है, बोर्ड का सदस्य तथा इसमें इसका अध्यक्ष भी शामिल है;

(झ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ञ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था" से अभिप्राय है—

(i) भारत मे विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय/संस्था; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय/संस्था जो सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था के रूप में घोषित की गई है;

(ट) "विद्यालय" से अभिप्राय है, प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा देने वाली सरकार द्वारा स्थापित संस्था;

(ठ) "अध्यापक" से अभिप्राय है, विद्यालय में विभिन्न पदनामों से नियमित अध्यापन पदों पर नियुक्त व्यक्ति;

(ड) "अध्यापक शिक्षक" से अभिप्राय है, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान/राज्य शिक्षा तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् या सरकार द्वारा यथा स्थापित किसी अन्य सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में विभिन्न पदनामों से ऐसे रूप में नियुक्त अध्यापक;

(ढ) "अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान" से अभिप्राय है, विद्यालय अध्यापक को पूर्व-सेवा/सेवा में होते हुए प्रशिक्षण देने वाला कोई सरकारी प्रशिक्षण संस्थान।

बोर्ड की स्थापना।

3. ऐसी तिथि से, जो सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे, हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड के रूप में कहा जाने वाला बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

बोर्ड का गठन।

4. बोर्ड अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्यों से गठित होगा।

अध्यक्ष तथा सदस्यो की नियुक्ति का ढंग।

5. (1) अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा कालिज्यिम जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, प्रधान सचिव/आयुक्त विद्यालय शिक्षा, हरियाणा तथा मुख्य सचिव द्वारा सहयोजित किए जाने वाले राज्य के किन्हीं विश्वविद्यालयों के कुलपति से गठित होगा, की सिफारिशों पर की जाएगी। कालिज्यिम मुख्यमन्त्री को अध्यक्ष/सदस्यों के नाम/नामों की सिफारिश करने में इसकी अपनी प्रक्रिया तैयार करेगा, जो सरकार द्वारा नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए अन्तिम चयन करेगा।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक —

(क) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि नहीं रखता है या कोई अन्य समकक्ष शैक्षिक योग्यताएं न रखता हो; या

(ख) उसने पांच वर्ष के लिए किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी-I पद पर कार्य न किया हो; या

(ग) वह किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य, सह-आचार्य या आचार्य नहीं है या नहीं रहा है; या

(घ) वह विशिष्ट शिक्षाविद् न हो; या

(ङ) वह एक अवधि के लिए बोर्ड का सदस्य न रहा हो।

(3) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक —

(क) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि नहीं रखता है या कोई अन्य समकक्ष शैक्षिक योग्यताएं न रखता हो; या

(ख) उसने पांच वर्ष के लिए किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी-II पद पर कार्य न किया हो; या

(ग) वह विशिष्ट परिषत्सदस्य न हो :

परन्तु सभी पदधारी एक प्रवर्ग से नहीं होंगे।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी तिथि जिसको यह सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है से प्रभावी होगी।

सदस्यों के निबन्धन तथा सेवा शर्तें।

6. (1) प्रत्येक सदस्य, जब तक वह ऐसे रूप में बने रहने के लिए निरर्हित नहीं हो जाता है, तीन वर्ष की अवधि या जब तक वह 72 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु कोई सदस्य, सरकार को सम्बोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह जब तक उसका त्यागपत्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है पद पर बना रहेगा।

(2) व्यक्ति जो सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर दूसरी अवधि के लिए उस पद हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) सदस्यों के पद पूर्णकालिक होंगे तथा उनकी सेवा के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(4) अध्यक्ष/सदस्यो का वेतन, भत्ते तथा परकस वही होंगे जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के लिए विहित हैं।

7. (1) सदस्य को कदाचार के आधार पर, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश द्वारा जांच के बाद जब यह अभिनिर्धारित हो जाता है कि उसे ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए, सरकार के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जाएगा। सदस्यों को हटाने की सरकार की शक्ति।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी सदस्य को पद से आदेश द्वारा हटा सकती है यदि वह,—

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिया है; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्त्तव्यों से बाहर किसी संदत नियोजन में लगा हो; या

(ग) सरकार की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य; या साबित अवचार के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

8. बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी— बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

(i) कोई रिक्ति या बोर्ड के गठन में त्रुटि; या

(ii) उसके सदस्यों की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता; या

(iii) विषय-वस्तु को प्रभावित न करने वाला ऐसा कार्य या कार्यवाही में कोई त्रुटि या अनियमितता।

9. (1) सचिव, हरियाणा सिविल सेवा के संवर्ग से सम्बन्धित होगा तथा सरकार द्वारा पांच वर्ष की अनधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा, तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो सरकार, समय-समय पर, अवधारित करे। अमला।

(2) ऐसे निर्देशों के अध्यधीन, जो सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाएं, बोर्ड ऐसे अन्य कर्मचारियों, जो वह आवश्यक समझे, को इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए तथा सेवा के ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो बोर्ड ठीक समझे, नियुक्त कर सकता है।

10. बोर्ड के सभी आदेश तथा निर्णय सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किये जाएंगे। आदेशों का अधिप्रमाणीकरण।

11. (1) बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :— शक्तियां तथा कर्त्तव्य।

(i) विद्यालय शिक्षा विभाग के लिए अध्यापकों, अध्यापक शिक्षकों तथा शिक्षा पर्यवेक्षकों की सीधी भर्ती के ढंग से सम्बन्धित मामले पर मार्गदर्शन तैयार करने;

(ii) परीक्षाएं संचालित करने, साक्षात्कार आयोजित करने तथा अध्यापकों, अध्यापक शिक्षकों और शिक्षा पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवारों का चयन करने :

परन्तु हरियाणा लोक सेवा आयोग ऐसे पदों, जो अधिसूचित किये गये हैं और पहले से विज्ञापित किये गये हैं, के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी रखेगा;

(iii) खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के लिए विशेषज्ञों का चयन करने और आमंत्रित करने तथा परीक्षकों या परीक्षा अभिकरणों को नियुक्त करने,

(iv) सरकारी विद्यालयों/अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं/विद्यालय शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अनुसचिवीय कर्मचारीवृंद को छोड़कर ग्रुप क, ख तथा ग के चयनित उम्मीदवारो की नियुक्ति के सम्बन्ध मे निदेशक मौलिक शिक्षा, सैकन्डरी शिक्षा या सरकार को सिफारिश करने;

(v) विशेषज्ञों तथा परीक्षकों के परिलाभों और यात्रा भत्तो तथा अन्य भत्तो को नियत करने;

(vi) बोर्ड के निपटान पर रखी गई निधियो का संचालन करने;

(vii) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करने तथा ऐसी अन्य शक्तियो का प्रयोग करने जो विहित की जाएं;

(2) बोर्ड से निम्नलिखित नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता हेतु परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा --

(क) ऐसा अस्थाई पद, जिसके लिए आवश्यकता इसके सृजन के समय छह मास से अधिक के लिए जारी रहना असंभाव्य घोषित की गई है;

(ख) आपातिक परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थाई रूप से किसी व्यक्ति का स्थाई पद, यदि रिक्ति तुरन्त भरने के लिए लोकहित में आवश्यक है तथा बोर्ड से परामर्श करके नियुक्ति करने में अनुचित विलम्ब होना संभाव्य है; तथा

(ग) पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भरा जाने वाला कोई पद।

मुख्यालय।

12. बोर्ड का मुख्यालय पंचकूला में या ऐसे स्थान पर होगा जो सरकार, समय-समय पर अधिसूचित करे।

नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

14. सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के बाद प्रत्येक वित्त वर्ष में बोर्ड को, बोर्ड के कृत्यों के पालन के लिए ऐसी राशि, जो यह आवश्यक समझे, भुगतान करेगी। भुगतान।

15. (1) बोर्ड की अपनी निधि होगी, तथा सरकार द्वारा इसके भुगतान की गई सभी राशियां तथा बोर्ड की सभी प्राप्तियां निधि में रखी जाएंगी तथा बोर्ड द्वारा सभी भुगतान इसमें से किए जाएंगे। निधि।

(2) निधि से सम्बन्धित सभी धन ऐसे बैंक में जमा किए जाएंगे या ऐसी रीति में विनिहित किए जाएंगे, जो सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

(3) बोर्ड इसके कृत्यों के पालन के लिए ऐसी राशियां खर्च करेगा जो यह ठीक समझे तथा ऐसी राशियां निधि में से भुगतानयोग्य खर्च के रूप में मानी जाएंगी।

16. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे रूप में तथा ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्व वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों के सत्य तथा पूर्ण लेखे देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियां सरकार को भेजी जाएंगी तथा सरकार इन्हें राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी। वार्षिक रिपोर्ट।

17. (1) बोर्ड, लेखों की ऐसी बहियां तथा इसके लेखों के सम्बन्ध में अन्य बहियां, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में, जो सरकार साधारण आदेश द्वारा निदेश करे, रखवाएगा। लेखे तथा लेखा परीक्षा।

(2) बोर्ड, इसके वार्षिक लेखों के समापन के बाद यथाशीघ्र लेखों की विवरणी ऐसे रूप में तैयार करेगा तथा ऐसी तिथि तक जो सरकार नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 14 के अधीन लेखा-परीक्षा के लिए महालेखाकार के साथ परामर्श से अवधारित करे, महालेखाकार को भेजेगा।

(3) बोर्ड के वार्षिक लेखे उन पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित सरकार को भेजे जाएंगे तथा सरकार इन्हें राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

18. बोर्ड, धारा 20 के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा, अध्यक्ष या इसके किन्हीं सदस्यों या अधिकारियों को बोर्ड के कार्यालय तथा आंतरिक प्रसासन के रख-रखाव के सम्बन्ध में उपगत खर्च से सम्बन्धित शक्तियों सहित बोर्ड द्वारा या बोर्ड में, संव्यवहारित कारबार पर इसकी सामान्य अधीक्षण तथा निदेश की शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है। प्रत्यायोजन।

19. किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

20. बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम या इसके अधीन चयन करने, परीक्षा संचालित करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने के लिए फीस को विनियमित करने के हेतु बनाए गए नियमों के उपबंधों से अन्असंगत तथा बोर्ड द्वारा इसके कर्त्तव्यों के निर्वहन तथा कृत्यों के पालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए विनियम बना सकता है। विनियम बनाने की शक्ति।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

21. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निर्देश दे सकती है जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि कोई भी कठिनाई, जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट की गई है, विद्यमान नहीं थी या दूर की जानी अपेक्षित नहीं थी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

22. (1) हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड अध्यादेश, 2011 (2011 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार मानव संसाधनों पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे रही है। विद्यालय शिक्षा के तीव्र गति से बदलते परिदृश्य, विशेषतः केन्द्रीय सरकार द्वारा बच्चों के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (आर०टी०आई०, एक्ट) बनाये जाने के फलस्वरूप विभाग अब अधिक समय तक अध्यापकों तथा शैक्षिक पर्यवेक्षकों के पद रिक्त नहीं रख सकता। इसके अतिरिक्त 01-04-2010 से आर०टी०आई०, अधिनियम, जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चो को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के शासनादेश लागू करने के सन्दर्भ में शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करने की और अधिक आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 3(1) में प्रावधान है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निकटवर्ती विद्यालय मे 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत, अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य होगा। केवल इतना ही नहीं, राज्य सरकार को प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिष्य अनुपात (1:30) और उच्च प्राथमिक स्तर पर (1:35) शिक्षक-शिष्य अनुपात रखना होगा। इसके अतिरिक्त जहां बच्चों की प्रवेश संख्या 100 से अधिक है, एक पूर्णकालिक मुख्य शिक्षक, अंशकालिक कला शिक्षक, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा अनुदेशक व अन्य पदों पर नियुक्तियां करने की आवश्यकता होगी। अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

वर्तमान में अराजपत्रित पदों पर भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा राजपत्रित पदों पर भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है ये दोनों अभिकरण सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों जैसी भी स्थिति हो, सीधी भर्ती के कोटे के पदों को भरे जाने की सिफारिश करते हैं जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया में अधिक समय लग जाता है तथा देरी होती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन तथा माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का सार्वभौमीकरण, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा रिक्त पदों को भरना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्यालय में पदों के सृजन एवं उनको भरने की प्रक्रिया में लम्बा अन्तराल होने के कारण गत 5-6 वर्षों के दौरान अपग्रेड किए गए विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस समय विद्यालय प्राध्यापक संवर्ग के 12999 पदो में से लगभग 4000 पद रिक्त पड़े हैं। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान तथा वाणिज्य विषय की शिक्षा प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयास के फलस्वरूप बड़ी संख्या में अतिरिक्त पद सृजित किए जायेंगे जो कम समय के अन्तराल में भरे जाने हैं।

उक्त पृष्ठभूमि मे, न केवल रिक्त पद भरने में देरी कम करने बल्कि एक ऐसी नामसूची (पैनल) बनाने की आवश्यकता है जिससे हर वर्ष नये सत्र के आरम्भ में विभाग के पास अग्रिम सूची उपलब्ध हो ताकि रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा राज्य पर डाले गये वैधानिक दायित्व के दृष्टिगत रिक्त पद भरने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। केवल शिक्षकों (अराजपत्रित एवं राजपत्रित) के पदों पर भर्ती हेतु पृथक चयन बोर्ड की स्थापना करना ही इस समस्या का समाधान है। इससे बेहतर समन्वय होगा तथा बड़ी संख्या में रिक्त होने वाले और कार्यभार में वृद्धि/नये संस्थान खोलने के कारण समय-समय पर सृजित नये पद भरने हेतु चयन में देरी कम होगी।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
19 अगस्त, 2011

सुमित कुमार
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड के गठन पर लगभग 7 करोड़ रुपए की सरकारी कोष पर वार्षिक वित्तीय विविक्षा होगी।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 13 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अत: हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियमो के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धित ज्ञापन सम्बन्धित है।